झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2555 वर्ष 2013

इन्दर सिंह, पे0 अरमा सिंह, निवासी–हिन्द रोडवेज, नई कालीमती रोड, साकची, डाकघर एवं थाना–साकची, जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहीभूम

... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. प्रमाणपत्र अधिकारी, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

3. डी0टी0ओ0, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री जितेंद्र नाथ उपाध्याय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: काई नहीं

5/दिनांकः11वीं जनवरी, 2021

पक्षों की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई है।

पक्षों को सुना।

कार्यालय टिप्पणी का अध्ययन किया।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत निवेदन को ध्यान में रखते हुए और कार्यालय द्वारा बताए गए दोष को पूर्ण रूप से देखने पर इसको नजरअंदाज करने के लिए उपयुक्त है। तद्नुसार, उसे नजरअंदाज किया जाता है।

यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है, जिसके तहत प्रमाणपत्र अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सर्टिफिकेट केस नंबर–65/आरटी/93–94 में जारी किए गए 24.09.2012 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकत्तार्इ को जिला परिवहन अधिकारी, जमशेदपुर को 15,99,604.60 रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

यह न्यायालय का विचार है कि चूंकि याचिकाकर्त्ता ने बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के तहत प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत धारा 9 के तहत प्रदान की गई उपबन्ध के अन्तर्गत दायर आपत्ति पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया गया है, इसलिए, इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करना उचित नहीं होगा।

श्री जितेंद्र नाथ उपाध्याय, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिंदु पर निवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्हें अपने मुव्वकिल से कोई निर्देश नहीं मिला है।

यह न्यायालय, उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्त्ता को अपीलीय फोरम के समक्ष संपर्क करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना उचित समझता है, यदि मुद्दा अभी भी जीवित है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)